रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2925] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 2017/आश्विन 24, 1939
No. 2925] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2017/ASVINA 24, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3342(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 351 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, जेसोर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के दो अति महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, यह अरावली पहाड़ी श्रेणी के अद्भूत पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अभयारण्य के प्रमुख प्रजातियों में रीछ और दुर्लभ और संकटापन्न जैविक विविधता के दीर्घकालीन संरक्षण और सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य सहित, जेसोर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र 180.66 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और यह गुजरात राज्य के बनसकांथा जिला में अमीरगढ़ और दांतीवाड़ा तालुकों में अब स्थित है;

और, अभयारण्य बनसकांथा जिला के उत्तर पश्चिमी भाग में, बनस नदी के पश्चिम में और सीपू नदी के पूर्व में स्थित है। बनस नदी अभयारण्य के लिए पूर्वी सीमा बनाती है और उक्त अभयारण्य गुजरात और राजस्थान में अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ निकटता बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है;

और, जेसोर वन में प्रचुर वनस्पति जैव विविधता सहित उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और रेगिस्तानी कांटेदार वन के रूप में वर्गीकृत है और स्तनधारियों, सरीसृपों, कीटों और पक्षी जीवों की भिन्न-भिन्न किस्मे भी हैं और क्षेत्र महत्वपूर्ण नदियों जैसे सीपू और बनस का जलग्रहण क्षेत्र है, बनसकांथा जिले की जल कोष्ठक की रिचार्जिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

और, अभयारण्य के क्षेत्र में प्रचुर वनस्पति और जीव जन्तु के साथ औषधी पादपों की अच्छी संख्या का संभरण है और उक्त अभयारण्य में वृक्षों, झाड़ियों, पर्वतरोहियों, जड़ीबूटियों, सेजों, घास प्रजातियों आदि की अच्छी संख्या का भी संभरण है। कुछ वनस्पति की मुख्य प्रजातियों में *बुटेअ मोनोस्परमा, अनोगेइससुस पेंडुला, लान्नाइअ कोरोमांदेलीका, दीओसपयरोस मेलानोक्सयलोन, कैशिया फिसतुला,* आदि सम्मिलित है ;

और, अभयारण्य में 10 उभयचरों की प्रजातियां, 35 सरीसृपों की प्रजातियां, 212 पक्षियों की प्रजातियां और 27 स्तनधारियों की प्रजातियां का वास है। रीछ (*मेलोसेरस अरसिनस*) अभयारण्य की मुख्य प्रजाति है और अभयारण्य क्षेत्र में तेंदुआ (*पैंथरा पार्डस*) शीर्ष परभक्षियों में से एक परभक्षी है जिसका वास यहां है और अभयारण्य में वास करने वाले अन्य स्तनधारियों में चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), जंगली बिल्ली*(फेलिस चाउस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), भारतीय लोमड़ी (*वुल्प्स बेंगलेंसिस*), सामान्य लंगूर *(सेमनोपीथेकुस इंटेल्लुस),* नील गाय (*बोसेलाफुस ट्रागोकेमेलुस*), पेल हेजहोग (*हेमीचिनस माइक्रोप्रस*), भारतीय गेरबिल (टटेरा इंडिका), आदि सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य के अत्यंत बंद आसपास के क्षेत्र में मानव बस्ती, चालू रही विकासात्मक क्रियाकलाप, औद्योगीकरण और खनन क्रियाकलाप अभयारण्य के चारों ओर है, उचित सुरक्षा उपायों और को मद्देनजर रखते हुए दीर्घ कालिक वन्यजीव संरक्षण ऐसे क्रियाकलापों पर नियत्रण की आवश्यकता है;

और, जेसोर वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जेसोर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के संरक्षित क्षेत्र से 0 किलोमीटर से 3.2 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को जेसोर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में अमीरगढ़ और दांतीवाड़ा तालुकों में जेसोर वन में पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

(1) **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1)** पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार जेसोर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 से 3.2 किलोमीटर तक फैला है। राजस्थान के साथ अन्तरराज्यीय सीमा से उत्तरी और पूर्वोत्तर दिशाओं की ओर का विस्तार शून्य है। 0 विस्तार का एक बिंदु बनस नदी की अवस्थिति के कारण दभेला ग्राम के पूर्व की ओर भी है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 116.01 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध I** में है और जेसोर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध I (क) और (ख) में है।**

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है |

(4) मुख्य बिंदुओं के भू निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 29 ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है |

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुरूप होंगे और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होंगे।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार विधियों के अनुरूप भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक;

(x) पंचायती राज;

(xi) गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकी अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकारों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और समर्थनकारी मानचित्र तथा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध विनियमित और संवर्धित क्रियाकलापों का पालन करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबधों में अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी तथा उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग, गुजरात सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, गुजरात सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्

(i) जेसोर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार तक, इसमें जो भी निकट हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टो की स्थापना को पूर्व अभ्यंकित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय, सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **निगरानी समिति --** प्रथम निगरानी समिति की अवधि के पूरा होने पर, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए बिना पैरा 5 में दी गई संरचना के अनुसार बाद में निगरानी समितियों का पुन: गठन करेगी।

(5) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना तैयार की जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(6) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना में समाविष्ट की जाएगी ।

(7) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए गुजरात राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 उपबंधों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(8) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(9) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषणकारी तत्वों के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(10) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;

(11) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- (I) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन और निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(II) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(12) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(14) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) **यानीय परिवहन: -** परिवहन का यानीय संचलन आवास अनुकूल रीति में विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां –** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी स्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और तद्धीन बनाए गए नियमों जिनके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण के लिए धरती को खोदना तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए सम्मिलित है, को पूरा करने के लिए तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिद्ध की जाती अन्यथा नहीं; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और में विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

		जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
10.	मध्यम धनत्व के फाइबर बोर्ड/ पार्टिकल बोर्ड की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
11.	वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवा।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप संबंधी लघु अस्थायी संरचना के सिवाय आवास के जेसोर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हों सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक,जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा के 6 उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण

		और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में, जिस में ग्रह वास भी है, सहायक हो; और (iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :
14.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार श्वेत वर्ग के रूप में परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
16.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
17.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों का बिछाया जाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	रेल लाइनों के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संन्निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपायों के साथ, किए जाएंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित जल बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक उपयोग और निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	वायु, यानिक और ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	कृषि और अन्य उपयोग खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए।	विनियमित होंगे और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।

27.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	स्थानीय लोगों के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	वन विभाग द्वारा शासकीय मानीटरी सर्वेक्षण के सिवाय प्रतिषिद्ध।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, किए जाएंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
36.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
37.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
38.	कृषि संक्रियाएं, जिसके अंतर्गत बागान उद्यान कृषि और फलों उद्यान भी हैं।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा सके।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति - केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए पहली निगरीनी समिति गठित करती है, पहली निगरानी समिति की अवधि के पूरा होने पर, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए बिना निम्नलिखित संरचना के अनुसार पश्चातवर्ती निगरानी समितियों का पुनर्गठन करेगी:

(i)	कलेक्टर, बनासकांथा	-अध्यक्ष;
(ii)	प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट	-सदस्य;

	किए जाने वाला एक प्रतिनिधि	
(iii)	क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बनासकांथा	-सदस्य;
(iv)	क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार	-सदस्य;
(v)	गुजरात सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vi)	पारिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में गुजरात सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vii)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य;
(viii)	उप वन संरक्षक (जेसोर वन्यजीव अभयारण्य के प्रभारी), बनासकांथा	सदस्य- सचिव।

6.निर्देश निबंधन -(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही ''उद्योगों के वर्गीकरण, 2016'' के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उनके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/33/2016-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

जेसोर वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का साथ मानचित्र

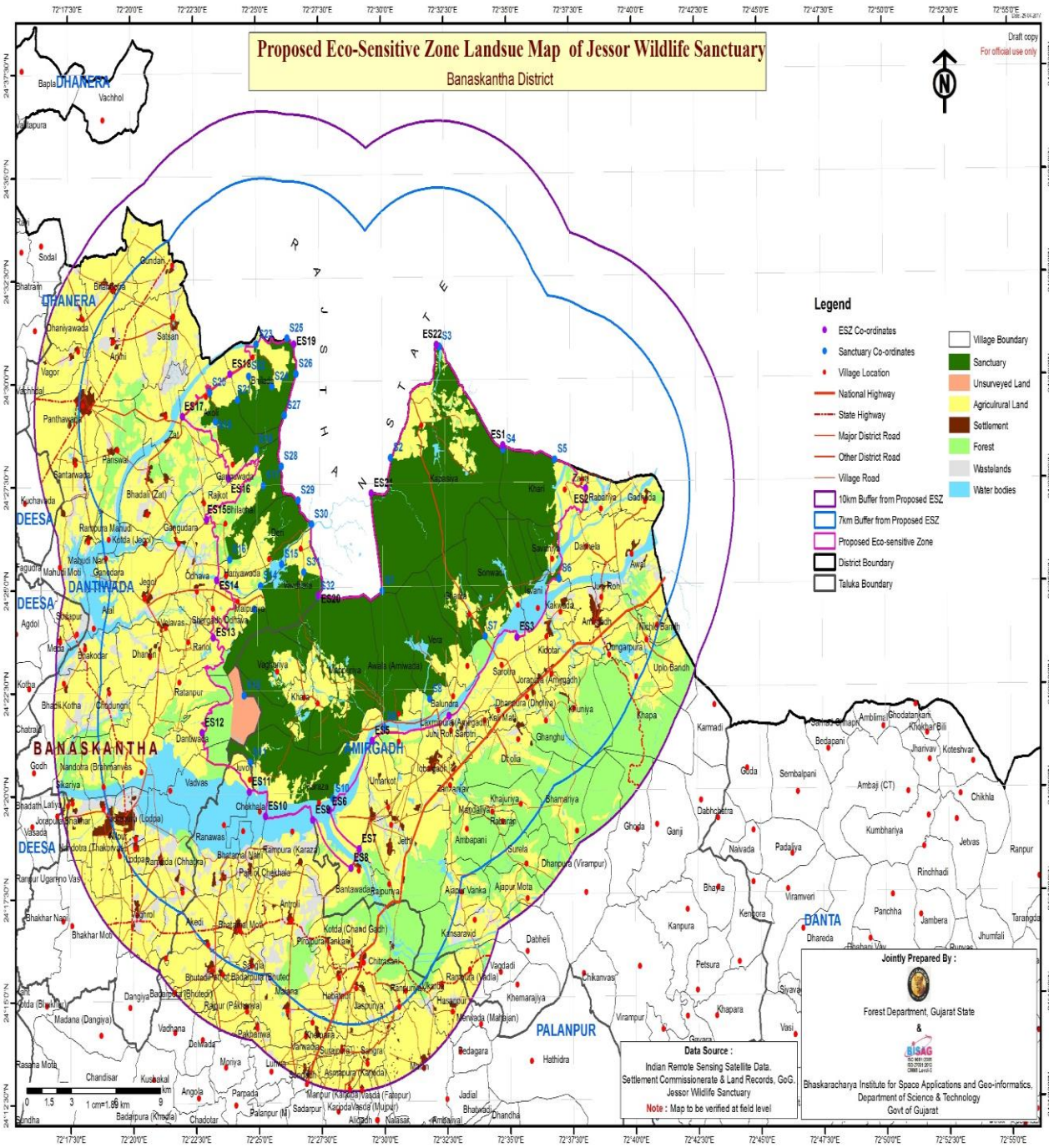

उपाबंध I क

जेसोर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू- निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
एस1	24°24' 55.027" उ	72°29' 58.669" पू
एस 2	24°28' 8.624" उ	72°30' 20.075" पू
एस 3	24°30' 50.069" उ	72°32' 18.041" पू
एस 4	24°28' 19.266" उ	72°34' 49.615" पू
एस 5	24°28' 3.848" उ	72°36' 52.954" पू
एस 6	24°25' 10.002" उ	72°37' 2.054" पू
एस 7	24°23' 47.179" उ	72°34' 4.387" पू
एस 8	24°22' 16.607" उ	72°31' 51.489" पू
एस 9	24°21' 36.545" उ	72°30' 1.763" पू
एस10	24°19' 52.970" उ	72°27' 58.390" पू
एस11	24°20' 46.789" उ	72°24' 41.714" पू
एस12	24°22' 24.452" उ	72°24' 27.461" पू
एस13	24°24' 30.108" उ	72°24' 52.599" पू
एस14	24°25' 3.870" उ	72°25' 7.690" पू
एस15	24°25' 34.996" उ	72°25' 58.785" पू
एस16	24°25' 42.735" उ	72°23' 53.924" पू
एस17	24°27' 30.013" उ	72°25' 15.615" पू
एस18	24°28' 22.980" उ	72°24' 59.383" पू
एस19	24°29' 3.464" उ	72°23' 21.693" पू
एस20	24°29' 46.152" उ	72°23' 7.850" पू
एस21	24°29' 35.176" उ	72°24' 14.318" पू
एस22	24°30' 9.464" उ	72°24' 41.473" पू
एस23	24°30' 55.822" उ	72°24' 59.578" पू
एस24	24°29' 54.308" उ	72°25' 37.279" पू
एस25	24°31' 4.234" उ	72°26' 13.346" पू
एस26	24°30' 12.497" उ	72°26' 34.704" पू
एस27	24°29' 11.976" उ	72°26' 6.365" पू
एस28	24°27' 57.976" उ	72°25' 58.506" पू
एस29	24°27' 7.973" उ	72°26' 38.659" पू

एस30	24°26' 32.784" उ	72°27' 10.739" पू
एस31	24°25' 23.241" उ	72°26' 51.410" पू
एस32	24°24' 48.118" उ	72°27' 25.554" पू

उपाबंध I ख.

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जेसोर वन्यजीव अभयारण्य के भू- निर्देशांक

जेसोर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू- निर्देशांक		
क्र.सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**
ई एस 1	उ24° 28' 25.273"	पू72° 34' 49.035"
ई एस 2	उ24° 27' 21.291"	पू 72° 38' 6.551"
ई एस 3	उ24° 23' 45.355"	पू 72° 35' 20.579"
ई एस 4	उ24° 21' 16.844"	पू 72° 29' 33.136"
ई एस 5	उ24° 19' 36.166"	पू72° 27' 50.245"
ई एस 6	उ24° 18' 39.394"	पू72° 29' 1.074"
ई एस 7	उ24° 18' 11.637"	पू72° 28' 41.309"
ई एस 8	उ24° 19' 22.242"	पू72° 27' 10.391"
ई एस 9	उ24° 19' 28.107"	पू72° 25' 17.017"
ई एस 10	उ24° 20' 3.994"	पू72° 24' 38.704"
ई एस 11	उ24° 21' 30.615"	पू72° 22' 46.291"
ई एस 12	उ24° 27' 40.127"	पू72° 23' 51.940"
ई 13	उ24° 23' 48.843"	पू72° 23' 14.061"
ई एस 14	उ24° 25' 12.744"	पू72° 23' 22.606"
ई एस 15	उ24° 26' 40.738"	पू72° 22' 59.443"
ई एस 16	उ24° 30' 12.669"	पू72° 23' 56.845"
ई एस 17	उ24° 29' 11.260"	पू72° 22' 2.722"
ई एस 18	उ24° 21' 51.779"	पू72° 32' 37.217"
ई एस 19	उ24° 30' 55.238"	पू72° 26' 29.771"
ई एस 20	उ24° 24' 49.307"	पू72° 27' 26.323"
ई एस 21	उ24° 27' 17.358"	पू72° 29' 33.487"
ई एस 22	उ24° 30' 52.937"	पू72° 32' 10.905"

उपाबंध - II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जेसोर वन्यजीव अभयारण्य,गुजरात का सीमा विवरण

दिशा	टिप्पणी
उत्तर	राजस्थान राज्य सीमा
उत्तर -पूर्व	राजस्थान राज्य सीमा
पूर्व	बनस नदी
दक्षिण-पूर्व	बनस नदी
दक्षिण	बनस नदी
दक्षिण -पश्चिम	बनस नदी
पश्चिम	हदमतीया बांध देरी ग्राम
उत्तर- पश्चिम	बिल्डा गांव से ज़ट को जोड़ने वाली सड़क

उपाबंध III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जेसोर वन्यजीव अभयारण्य की सूची

क्र.सं.	जिला	तालुक	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	बनसकांथा	अमीरगढ़	अवाला(अरनीवाडा)	24⁰ 21’55.274”उ	72⁰ 30’36.879”पू
2	“	“	बलुंद्रा	24⁰ 22’19.951”उ	72⁰ 32’47.292”पू
3	“	“	दबहेला	24⁰ 25’56.486”उ	72⁰ 38’7.788”पू
4	“	“	घांटा	24⁰ 24’18.982”उ	72⁰ 33’26.802”पू
5	“	“	इसवानी	24⁰ 24’27.048”उ	72⁰ 36’10.988”पू
6	“	“	कपसीया	24⁰ 28’55.596”उ	72⁰ 31’34.511”पू
7	“	“	कराजा	24⁰ 19’46.371”उ	72⁰ 27’25.323”पू
8	“	“	खेरा	24⁰ 22’20.143”उ	72⁰ 36’50.588”पू
9	“	“	खारी	24⁰ 27’19.379”उ	72⁰ 37’16.648”पू
10	“	“	मंपुरीया	24⁰ 22’11.614”उ	72⁰ 27’23.359”पू
11	“	“	सरोतरा	24⁰ 23’4.840”उ	72⁰ 34’43.380”पू
12	“	“	सवनीया	24⁰ 25’38.465”उ	72⁰ 36’45.760”पू
13	“	“	सोंवाडी	24⁰ 24’32.175”उ	72⁰ 35’23.083”पू
14	“	“	वगहोरीया	24⁰ 22’58.470”उ	72⁰ 25’46.523”पू
15	“	“	वीरा	24⁰ 23’4.0714”उ	72⁰ 33’21.420”पू

16	"	दंतीवाडा	अकोली	24⁰ 29'39.972"उ	72⁰ 22'59.187"पू
17	"	"	बहीलाचाल	24⁰ 26'34.635"उ	72⁰ 23'44.535"पू
18	"	"	बहीलादा	24⁰ 30'36.792"उ	72⁰ 24'51.560"पू
19	"	"	दंतीवाडा	24⁰ 20'33.937"उ	72⁰ 20'21.304"पू
20	"	"	देरी	24⁰ 25'42.549"उ	72⁰ 25'28.794"पू
21	"	"	गंगुवाडा	24⁰ 28'0.926"उ	72⁰ 24'2.618"पू
22	"	"	हरीयावाडा	24⁰ 25'18.184"उ	72⁰ 23'45.061"पू
23	"	"	मालपुरीया	24⁰ 24'41.143"उ	72⁰ 24'13.194"पू
24	"	"	रनोल	24⁰ 23'42.731"उ	72⁰ 22'13.997"पू
25	"	"	रतनपुर	24⁰ 22'43.946"उ	72⁰ 21'52.302"पू
26	"	"	सेरगाद (ओधावा)	24⁰ 22'31.143"उ	72⁰ 23'13.433"पू
27	"	"	ववधारा	24⁰ 25'57.271"उ	72⁰ 26'44.025"पू
28	"	"	वादवास	24⁰ 20'6.274"उ	72⁰ 21'29.792"पू
29	"	पालनपुर	जुवोल	24⁰ 20'21.348"उ	72⁰ 24'39.988"पू

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2017

S.O. 3342(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 351(E), dated the 6th February, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Jessore Wildlife Sanctuary is one of the two most important Protected Areas of Gujarat, representing the unique ecosystem of Aravalli mountain range. With the prime aim of long term protection and conservation of the flagship species of the Sanctuary, Sloth Bear and the rare and endangered biological diversity, the Jessore Wildlife Sanctuary is spread over an area of 180.66 square kilometres and is located in Talukas Amirgadh and Dantivada in Banaskantha district in the State of Gujarat State;

AND WHEREAS, the Sanctuary is situated in the North-Western part of Banaskantha district, west to the Banas River and east to the Sipu River. Banas River forms the Eastern boundary for the Sanctuary and the said Sanctuary is an important protected area maintaining contiguity with other Protected Areas in Gujarat and Rajasthan;

AND WHEREAS, Jessore forest is categorised as Tropical Dry Deciduous and Desert Thorn Forest, with rich plant biodiversity and also varieties of mammals, reptiles, insects and avifauna and the area is catchment of important rivers like Sipu and Banas, playing an important role in recharging the water table of Banaskantha district;

AND WHEREAS, the sanctuary supports good number of medicinal plants along with rich flora and fauna of the region and the said Sanctuary also supports a good number of trees, shrubs, climbers, herbs, sedges, grass species, etc. Some of the major species of Flora include *Butea monosperma, Anogeissus pendula, Lannea coromandelica, Diospyros melanoxylon, Cassia fistula,* etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to 10 species of amphibians, 35 species of reptiles, 212 species of birds, and 27 species of mammals. Sloth bear (*Melursus ursinus*) is the flagship species of the Sanctuary and the leopard (*Pathera pardus*) is one of the top inhabiting predators and the other mammals inhabiting the Sanctuary include the striped hyaena (*Hyaena hyaena*), jungle cat (*Felis chaus*), jackal (*Canis aureus*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), Hanuman langur (*Semnopithecus entellus*), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), Pale hedgehog (*Hemiechinus* micropus), Indian Gerbil (*Tatera* indica), etc.;

AND WHEREAS, the extremely closed vicinity of the sanctuary to human habitation, ongoing developmental activities, industrialization and mining activities around the Sanctuary, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities in view of long term wildlife conservation;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of the Jessore Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub - section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area with an extent ranging from 0 kilometre to 3.2 kilometres from the boundary of the protected area of the Jessore Wildlife Sanctuary in Amirgadh and Dantivada Talukas in the State of Gujarat as the Jessore Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after called as Eco-sensitive Zone).

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The extent of the Eco-sensitive Zone varies from 0 to 3.2 kms. around Jessore Wildlife Sanctuary. Zero extent is towards Northern and North-eastern sides sharing interstate boundary with Rajasthan. 0 extent is also at one point towards East at Dabhela village due to location of River Banas. The area of the Eco-sensitive Zone is 116.01 square kilometres.

(2) The map of the Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure I** and the list of geo co-ordinates of the boundary of Jessore Wildlife sanctuary and Eco -sensitive Zone is at **Annexure I (A) and (B)** respectively.

(3) The Boundary description Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

(4) The list of 29 villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipality;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Gujarat State Pollution Control Board;

(xii) Public Works Department.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, archaeological monuments, heritage structures, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-tourism.—**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Gujarat in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Gujarat.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Jessore Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer. and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger

Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Monitoring Committee.—**Upon completion of the term of the first Monitoring Committee, the State Government shall re-constitute the subsequent Monitoring Committees as per the composition given at Para 5, without referring to the Central Government.

(5) **Natural Heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(7) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government or Gujarat State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 formed under the Environment (Protection) Act, 1986.

(8) **Air pollution.—**Regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(9) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder .–

(10) **Solid wastes. —**Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016.

(ii) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(11) **Bio-medical waste.—**(i)The bio-medical waste management and disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016

(ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco -sensitive Zone.

(12) **Plastic Waste Management**.—The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016.

(13) **Construction and Demolition Waste Management**.—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016.

(14) **E-waste**.—The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change .

(15) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(16) **Industrial Units.—**(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Setting up of Medium Density Fibreboard/Particle Board.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Commercial Helicopter Services.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area of Jessore Wildlife sanctuary or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 6 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) promoted activities listed in this Notification.

14.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
16.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws except railway lines. Underground cabling may be promoted.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Air, vehicular and Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws except for local people.
28.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited except for official monitoring/survey by the Forest Department.

29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
31.	Biomedical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
Promoted activities		
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
38.	Agricultural operations including plantation, horticulture and orchards.	Permitted under applicable law.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
40.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
42.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
43.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
44.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—(1) The Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986. Upon completion of the term of the first Monitoring Committee, the State Government shall re-constitute the subsequent Monitoring Committees as per the following composition without referring to the Central Government:-

(i) Collector, Banaskantha —Chairperson;

(ii) A representative of Non-governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of three years —Member;

(iii) Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Banaskantha —Member;

(iv) Senior Town Planner of the area —Member;

(v) A representative of the Department of Forest and Environment, Government of Gujarat —Member;

(vi) One expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the Government of Gujarat for a period of three years —Member;

(vii) Member, State Biodiversity Board —Member;

(viii) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Jessore Wildlife Sanctuary), Banaskantha —Member Secretary.

6.Terms of Reference.-

(1) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/33/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Jessore Wildlife Sanctuary, Gujarat along with Eco-sensitive Zone

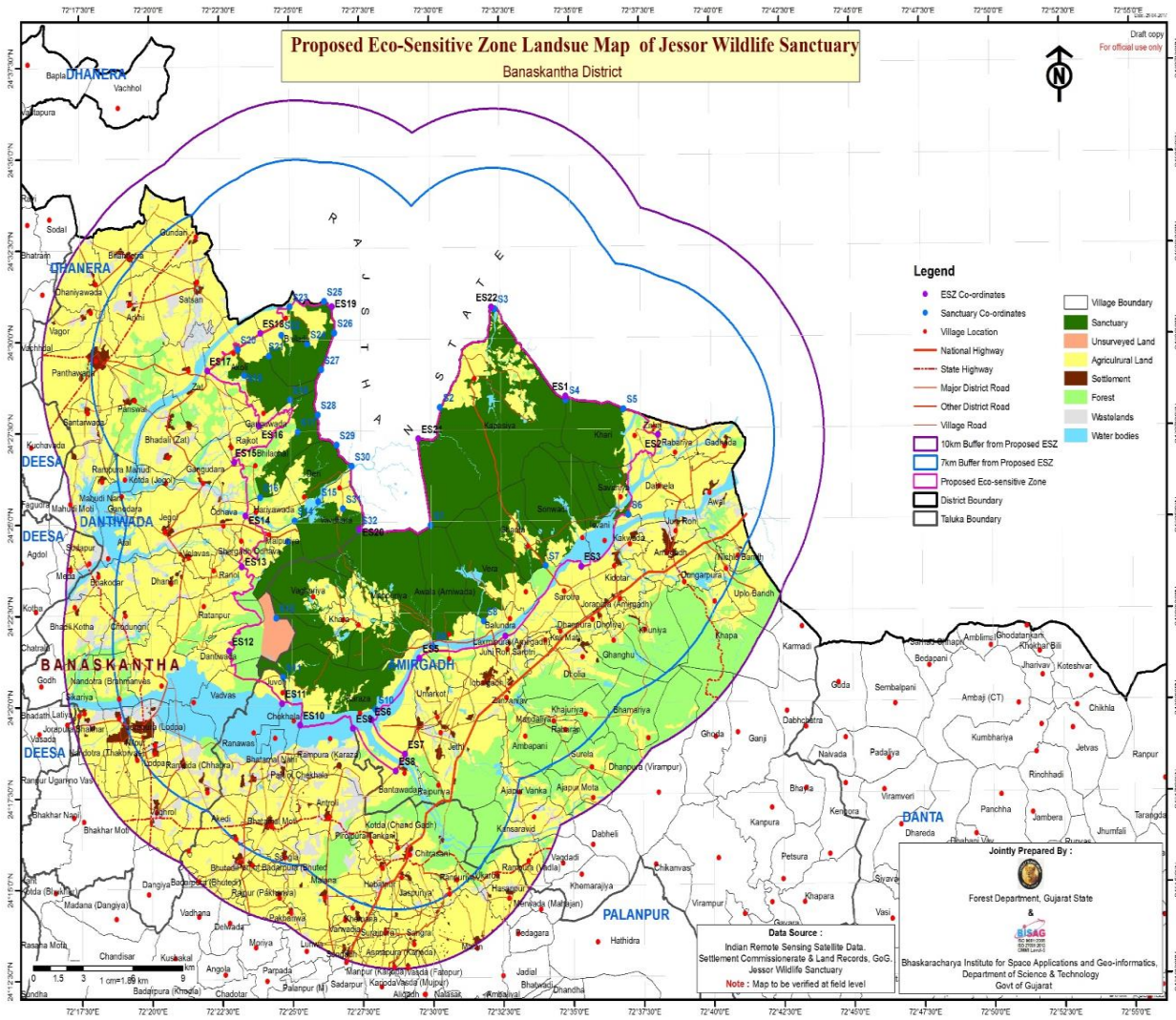

Annexure –I A

Geo Co-ordinates of Jessore Wildlife Sanctuary

Sr No.	Latitude	Longitude
S1	24°24' 55.027" N	72°29' 58.669" E
S 2	24°28' 8.624" N	72°30' 20.075" E
S 3	24°30' 50.069" N	72°32' 18.041" E
S 4	24°28' 19.266" N	72°34' 49.615" E
S 5	24°28' 3.848" N	72°36' 52.954" E
S 6	24°25' 10.002" N	72°37' 2.054" E
S 7	24°23' 47.179" N	72°34' 4.387" E

S 8	24°22' 16.607" N	72°31' 51.489" E
S 9	24°21' 36.545" N	72°30' 1.763" E
S10	24°19' 52.970" N	72°27' 58.390" E
S11	24°20' 46.789" N	72°24' 41.714" E
S12	24°22' 24.452" N	72°24' 27.461" E
S13	24°24' 30.108" N	72°24' 52.599" E
S14	24°25' 3.870" N	72°25' 7.690" E
S15	24°25' 34.996" N	72°25' 58.785" E
S16	24°25' 42.735" N	72°23' 53.924" E
S17	24°27' 30.013" N	72°25' 15.615" E
S18	24°28' 22.980" N	72°24' 59.383" E
S19	24°29' 3.464" N	72°23' 21.693" E
S20	24°29' 46.152" N	72°23' 7.850" E
S21	24°29' 35.176" N	72°24' 14.318" E
S22	24°30' 9.464" N	72°24' 41.473" E
S23	24°30' 55.822" N	72°24' 59.578" E
S24	24°29' 54.308" N	72°25' 37.279" E
S25	24°31' 4.234" N	72°26' 13.346" E
S26	24°30' 12.497" N	72°26' 34.704" E
S27	24°29' 11.976" N	72°26' 6.365" E
S28	24°27' 57.976" N	72°25' 58.506" E
S29	24°27' 7.973" N	72°26' 38.659" E
S30	24°26' 32.784" N	72°27' 10.739" E
S31	24°25' 23.241" N	72°26' 51.410" E
S32	24°24' 48.118" N	72°27' 25.554" E

Annexure I(B)

Geo- coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Jessore Wildlife sanctuary

Jessor Wildlife Sanctuary Eco-Sansitive Zone Co-ordinates		
Sr.No.	**Latitude**	**Longitude**
E1	N24° 28' 25.273"	E72° 34' 49.035"
E 2	N24° 27' 21.291"	E 72° 38' 6.551"
E 3	N24° 23' 45.355"	E 72° 35' 20.579"
E 4	N24° 21' 16.844"	E 72° 29' 33.136"
E 5	N24° 19' 36.166"	E72° 27' 50.245"
E 6	N24° 18' 39.394"	E72° 29' 1.074"
E 7	N24° 18' 11.637"	E72° 28' 41.309"
E 8	N24° 19' 22.242"	E72° 27' 10.391"
E 9	N24° 19' 28.107"	E72° 25' 17.017"
E 10	N24° 20' 3.994"	E72° 24' 38.704"

E 11	N24° 21' 30.615"	E72° 22' 46.291"
E 12	N24° 27' 40.127"	E72° 23' 51.940"
E 13	N24° 23' 48.843"	E72° 23' 14.061"
E 14	N24° 25' 12.744"	E72° 23' 22.606"
E 15	N24° 26' 40.738"	E72° 22' 59.443"
E 16	N24° 30' 12.669"	E72° 23' 56.845"
E 17	N24° 29' 11.260"	E72° 22' 2.722"
E 18	N24° 21' 51.779"	E72° 32' 37.217"
E 19	N24° 30' 55.238"	E72° 26' 29.771"
E20	N24° 24' 49.307"	E72° 27' 26.323"
E 21	N24° 27' 17.358"	E72° 29' 33.487"
E 22	N24° 30' 52.937"	E72° 32' 10.905"

Annexure II

Boundary Description of Eco- sensitive Zone of Jessore WLS, Gujarat

Direction	Remark
North	Rajasthan State Boundary
North-East	Rajasthan State Boundary
East	Banas River
South-East	Banas River
South	Banas River
South-West	Banas River
West	Hadmatiya Dam Deri Village
North-West	Road Connecting Bilda to Zat villages

Annexure III

List of villages falling in Jessore WLS Eco –sensitive Zone

Sr. No.	DISTRICT	TALUKA	VILLAGE	LATIUDE	LONGITUDE
1	BANSKANTHA	AMIRGADH	Awala(Arniwada)	24^0 21’55.274”N	72^0 30’36.879”E
2	“	“	Balundra	24^0 22’19.951”N	72^0 32’47.292”E
3	“	“	Dabhela	24^0 25’56.486”N	72^0 38’7.788”E
4	“	“	Ghanta	24^0 24’18.982”N	72^0 33’26.802”E
5	“	“	Isvani	24^0 24’27.048”N	72^0 36’10.988”E
6	“	“	Kapasiya	24^0 28’55.596”N	72^0 31’34.511”E
7	“	“	Karaza	24^0 19’46.371”N	72^0 27’25.323”E
8	“	“	Khara	24^0 22’20.143”N	72^0 36’50.588”E
9	“	“	Khari	24^0 27’19.379”N	72^0 37’16.648”E
10	“	“	Manpuriya	24^0 22’11.614”N	72^0 27’23.359”E

11	"	"	Sarotra	24^0 23'4.840"N	72^0 34'43.380"E
12	"	"	Savaniya	24^0 25'38.465"N	72^0 36'45.760"E
13	"	"	Sonwadi	24^0 24'32.175"N	72^0 35'23.083"E
14	"	"	Vaghoriya	24^0 22'58.470"N	72^0 25'46.523"E
15	"	"	Vera	24^0 23'4.0714"N	72^0 33'21.420"E
16	"	DANTIWADA	Akoli	24^0 29'39.972"N	72^0 22'59.187"E
17	"	"	Bhilachal	24^0 26'34.635"N	72^0 23'44.535"E
18	"	"	Bhilada	24^0 30'36.792"N	72^0 24'51.560"E
19	"	"	Dantiwada	24^0 20'33.937"N	72^0 20'21.304"E
20	"	"	Deri	24^0 25'42.549"N	72^0 25'28.794"E
21	"	"	Ganguwada	24^0 28'0.926"N	72^0 24'2.618"E
22	"	"	Hariyawada	24^0 25'18.184"N	72^0 23'45.061"E
23	"	"	Malpuriya	24^0 24'41.143"N	72^0 24'13.194"E
24	"	"	Ranol	24^0 23'42.731"N	72^0 22'13.997"E
25	"	"	Ratanpur	24^0 22'43.946"N	72^0 21'52.302"E
26	"	"	Shergadh(Odhva)	24^0 22'31.143"N	72^0 23'13.433"E
27	"	"	Vavdhara	24^0 25'57.271"N	72^0 26'44.025"E
28	"	"	Vadvas	24^0 20'6.274"N	72^0 21'29.792"E
29	"	PALANPUR	Juvol	24^0 20'21.348"N	72^0 24'39.988"E

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.24 15:46:27 +05'30'